

कार्यालय मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग "निर्माण भवन" प्लॉट नं. 27-28 अरेरा हिल्स, भोपाल म.प्र.

क्रमांक 2090/रा0रा0/आर/2015/372 भोपाल, दिनांक 26/10/2015
प्रति,

श्री अभय कुमार जैन,
कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
रा.रा.संभाग, सागर ।

विषय:- रा.रा.कं. 86 सागर-छतरपुर मार्ग के कि.मी. 88 से 130 में 2 लेन
मय पेव्हाड शोल्डर चौड़ीकरण कार्य हेतु वन भूमि के डायवर्सन हेतु।

संदर्भ :- भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र
कं. आर.डब्ल्यू./एन.एच./12014/23/2013/एम.पी.(पी-5) दिनांक 31.
03.2014.

विषयांकित रा.रा.कं. 86 सागर-छतरपुर मार्ग के कि.मी. 88 से 130 में
2 लेन मय पेव्हाड शोल्डर चौड़ीकरण कार्य हेतु संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार सड़क
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति जारी की गई है। चौड़ीकरण
कार्य प्रगति पर है। मार्ग के चौड़ीकरण भाग में पड़ने वाले वन क्षेत्र की भूमि
वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार कर वन भूमि व्ययपत्रन की
कार्यवाही हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करते हुये आवश्यक कार्यवाही करें।

मुख्य अभियंता, (रा.रा.परि.)
लोक निर्माण विभाग, भोपाल.